बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स08डी0(बजट–आबंटन–2225)–14–10/2016– 73

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार

निदेशक ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

रोहतास ।

पटना, दिनांक 16.1.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन के तहत वेतनादि मद में कुल ₹ 90,00,000/– (नब्बे लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैरयोजना के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवम् उनके कार्यालय मे सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन–भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या 03 दिनांक 18.04.16 एव 15 दिनांक 30.05.16, 21 दिनांक 21 दिनांक 18.07.2016, 37 दिनांक 30.08.16, 42 दिनांक 15.09. 2016 एवं 66 दिनांक 22.12.2016 द्वारा द्वारा आवंटन दिया गया था । जिला कल्याण पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त मॉग पत्र पत्रांक 11 दिनांक 07/01/2017 के आलोक में ₹ 90,00,000/– (नब्बे लाख रू0) का वेतनादि मद में निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है ।

वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल
1	2	3	4	5
38,00,000/–	47,00,000/–	4,70,000/–	30,000/–	**90,00,000/–**

(नब्बे लाख रू0 मात्र)

2– कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना भिन्न आय–व्यय शीर्ष "2225–अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों, और अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण–01–अनु0 जातियों का कल्याण–001–निदेशन और प्रशासन–0001–निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों– 0101–वेतन, 0102–विशेष वेतन, 0103–जीवन यापन भत्ता, 0104 मकान किराया भत्ता 0106–चिकित्सा भत्ता,, मांग सं0–44 –बिपत्र कोड सं0 N222501001000l के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होगें जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी धोषित है ।

4– जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद CWJC संख्या 19539/2016 श्री संजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित के लम्बित वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

5– वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।

6– राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा । जिला कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से, जिन्हे उनके द्वारा उप आवंटन दिया गया हो, व्यय विवरणी टी0भी0 नम्बर इत्यादि प्राप्त कर मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

7– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 16/01/17
निदेशक ।

ज्ञापांक– स08डी0(बजट–आबंटन–2225)–14–10/2016 73 पटना, दिनांक 16.1.17

प्रतिलिपि : (1) विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
(3) संयुक्त सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त पटना / जिला पदा0, रोहतास / उप विकास आयुक्त, रोहतास /प्रमंडल उपनिदेशक, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक, कल्याण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (मुख्यालय) /बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 16/01/17

ज्ञापांक– स08डी0(बजट–आबंटन–2225)–14–10/2016 73 पटना, दिनांक 16.1.17

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 16/01/17